काम के स्थान पर क्या एक व्यक्ति को अकेला छोड़ा जा सकता है? (Can a person be left alone at their place of work?)

अकेले काम करने पर कोई पक्की रोक नहीं है; यह जोखिम आकलन में सामने आए तथ्यों पर निर्भर रहेगा.

इस पर कानून के दो मुख्य अंश लागू होंगे :

दि हैल्थ एन्ड सेफ्टी एट वर्क एटसेटरा एक्ट 1974: धारा 2 में रोजगारदाताओं के लिए यह कर्त्तव्य निर्धारित किया गया है कि काम के दौरान वे अपने कर्मचारियों की सेहत, सुरक्षा और भलाई के लिए ध्यान देना भी सुनिश्चित करें.

दि मैनेजमेन्ट हैल्थ एन्ड सेफ्टी एट वर्क रेग्यूलेशन्स 1999:
के रेग्यूलेशन 3 में कहा गया है कि प्रत्येक रोजगारदाता निम्नलिखित का पर्याप्त और सुसंगत आकलन करे-

- काम के दौरान अपने कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को काम से हो सकने वाले जोखिम का; और
- उसकी संस्थान द्वारा किए जाने वाले कामों के कारण या उसके सम्बन्ध में उन लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए जोखिम जो उसके यहाँ नौकरी नहीं करते हैं.

एच एस ई ने निम्नखित‍ि मुफ्त लीफलेट तैयार किया है :

- **Working Alone in Safety - free leaflet**

यद्यपि अकेले काम करने पर कोई सामान्य कानूनी रोक नहीं है, तो भी एच एस डब्ल्यू एक्ट और एम एच एस डब्ल्यू रेग्यूलेशन के मोटे-मोटे प्रावधान लागू होते हैं. इनके लिए काम के खतरों की शिनाख्त, कितना जोखिम है, इसका आकलन, और जोखिम से बचने या इसके नियंत्रण के लिए उपाय करना अपेक्षित है.

नियंत्रण उपायों में अनुदेश, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, बचाव उपकरण आदि शामिल हैं. रोजगारदाताओं को यह जाँच करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि नियंत्रण उपायों को प्रयोग में लाया जाता है और समय समय पर जोखिम आकलन की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सब अभी भी पर्याप्त हैं.

यदि जोखिम आकलन में यह तय हो जाए कि कोई काम अकेले कामगार द्वारा सुरक्षापूर्वक नहीं किया जा सकता है, तो मदद या बैकअप के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए. यदि कामगार को अकेले ही किसी दूसरे मालिक के कार्यस्थल पर कार्य करना हो तो उस मालिक को चाहिए कि वह अकेले कामगार को किसी भी जोखिम के बारे में बताए और किए जाने वाले नियंत्रण उपाय भी बताए. इससे अकेले कामकार का मलिक जोखिम का आकलन कर सकेगा.

जोखिम आकलन इस प्रकार का होना चाहिए कि निगरानी के सही स्तर का निर्णय लेने में मदद करे. कुछ काम बहुत जोखिम भरे होते हैं और ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति को साथ रखना बहुत जरूरी होता है. इसके उदाहरण हैं जैसे अधिक जोखिम वाले बन्द स्थानों पर काम करना, ऐसे में एक सुपरवाइजर मौजूद होना चाहिए, साथा ही ऐसा भी कोई होना चाहिए जो बचाव के मार्ग पर ही तैनात रहे; बिजली का काम जो सक्रिय कन्डक्टरों के आस पास किया जाना हो तो ऐसे में कम से कम दो व्यक्ति जरूरी होते हैं.

अकेले कामगार को दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले अधिक जोखिम नहीं होना चाहिए. इसके लिए जोखिम नियंत्रण के कुछ और उपायों की भी जरूरत पड़ सकती है. सावधानियों में सामान्य काम और अनुमान आपात स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आग, उपकरण फेल होना, बीमारी और दुर्घटनाएं. मालिकों को ऐसी स्थितियों की शिनाख्त कर लेनी चाहिए जहाँ लोगों को अकेले काम करना है, और इस प्रकार के सवाल पूछिए:

1. क्या अकेले कामगार के लिए कार्यस्थल पर जोखिम है?
2. क्या एक व्यक्ति के लिए आने जाने का सुरक्षित मार्ग है? क्या काम के लिए जरूरी उपकरण जैसे सीढ़ियाँ या टकटकी (लकड़ी की घोड़ी) का रखरखाव एक व्यक्ति द्वारा सुरक्षा पूर्वक किया जा सकता है?

3. क्या काम से जुड़े सभी संयत्र, पदार्थ और माल का रखरखाव एक व्यक्ति द्वारा आसानी से किया जा सकता है? यह भी ध्यान दीजिए कि काम में ऐसे सामान को भी उठाना पड़ सकता है, या उपकरण को सुरक्षापूर्वक चलाने के लिए जरूरी कन्ट्रोल चलाने में एक से अधिक लोगों की जरूरत है.
4. क्या हिंसा का खतरा है?
5. क्या अकेले काम करते समय औरतों को खास जोखिम हो सकता है?
6. क्या अकेले काम करते समय छोटे कामगारों को खास जोखिम हो सकता है?
7. क्या अकेले काम करने के लिए व्यक्ति डाक्टरी तौर पर फिट है और उपयुक्त है?
8. यदि व्यक्ति बीमार पड़ गया है, दुर्घटना हो गई है या आपात स्थिति रही तो क्या होगा?